न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारीः—चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः— 34 / 2012 राजस्व वाद
श्री सोनाथ पिता भूरा गाडरी, उम्र बालिग निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
———वादी

बनाम

1—श्री जगदीश सिंह पिता सोहनसिंह राव, उम्र बालिग निवासी जी—140 / 4, बापूनगर—भीलवाड़ा (राजस्थान)
2—श्री गिरीराज प्रसाद पिता रामरतन शर्मा, उम्र बालिग निवासी आई—85, बापूनगर, भीलवाड़ा (राजस्थान)
3—किशनलाल पिता नानूलाल माली, उम्र बालिग निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
4—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
———प्रतिवादीगण

———

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88—89—53—54 व 188 रा0टि0एक्ट

उपस्थितः—

1—श्री हरदयाल वर्मा — एडवोकेट—वादीगण
2—श्री प्यारेलाल कौल — एडवोकेट—प्रतिवादी सं0 1 व 2

:: नि र्ण य ::  दिनांकः—18.12.2017

संक्षिप्त में वादपत्र पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88—89—53—54 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पांसल पटवार हल्का पांसल तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 416 रकबा 19 बिस्वा, 422 रकबा 16 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के संयुक्त कब्जे याबी एवं स्वामित्व की हैं। कलम नम्बर 1 में अंकित आराजी संख्या 416 व 422 में से वादी ने प्रतिवादी संख या 1 व 2 से 2220 वर्गफुट जमीन दिनांक 14.3.2011 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तब से वादी अपने भू—भाग पर काबिज हो उपयोग—उपभोग कर रहा हैं। जिसमें दखल करने का किसी को कोई अधिकार नहीं हैं। वर्णित आराजियात में वादी ने जो भू—भाग क्रय किया जिसके पड़ौस पूर्व मेंः— 40 फीट सड़क, पश्चिम मेंः— भूखण्ड संख्या 28, उत्तर मेंः— सड़क 30 फीट, दक्षिण मेंः— अन्य आराजियात आराजी संख्या 416 व 422 के प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने कृषि भूखण्ड काटकर विक्रय किये है जिसमें से भूखण्ड संख्या 29 वादी ने क्रय किया तथा जब भूखण्ड क्रय किया तो प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने वादी को एक नक्शा भी दिया जो वाद का अभिन्न अंग हैं। जिसमें वादी के भूखण्ड संख्या 29 को दर्शा रखा है। प्रतिवादी ने जब वादी को भूखण्ड बेचान किया तब वादी के भूखण्ड संख्या 29 के पूर्व दिशा

Scanned by CamScanner

किसी प्रकार का नियम नही किया जावेगा। ऐसी स्थिति में वादी का किसी प्रकार का टाईटल उत्पन्न नहीं होता हैं। जहॉ तक कब्जे का प्रश्न है इसके लिये वादी को अपने खरीद शुदा भू–भाग के लिये संबंधित निकाय में विधिवत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिये। ताकि नियमन होकर टाईटल घोंषित हो सके। वादी ने वाद पत्र जिस धारा में प्रस्तुत किया, उसके लिये वह किसी प्रकार की दादरसी प्राप्त नहीं कर सकता हैं। क्योंकि भूमि राजस्व रेकार्ड प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज हो चुकी हैं। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा भी कृषि भूमि का कृषि बाबत उपयोग–उपभोग नहीं कर किस्म परिवर्तन कर दी हैं। जिसकी ताईद प्रस्तुत विकय पत्र की फोटो प्रति व प्रस्तुत नजरी नक्शें से होती हैं। जहॉ तक कब्जे का प्रश्न है वह कब्जा वादी का अवश्य है किन्तु कब्जा कृषि आराजियात पर न होकर एक भू–भाग पर ही हैं। जिसकी ताईद प्रस्तुत नजरी नक्शे व वादी के गवाहान से होती हैं। ऐसी स्थिति में वादी किसी प्रकार से कोई विवादित आराजियात पर दादरसी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी अपने वाद पत्र को सिद्व कराने में असफल रहने के कारण वादी का वाद पत्र खारीज किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

वादी अपने वाद पत्र को सिद्व कराने में असफल रहने के कारण वादी का वाद पत्र खारीज किया जाता हैं। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें। तद्नुसार डिकी जारी हो।

(चिन्मयी गोपाल)
आई. ए. एस.
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

आज दिनांक 18.12.2017 को निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा